न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ।

अपील संख्या-86/2017

दलीप पुत्र नाथा जाति जाट निवासी मानोता जाटान तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू(राज0)

---अपीलान्ट---

--बनाम--

1- अजयपुत्र राजकरण
2- रामबीर पुत्र प्रतापसिंह } जाति जाट निवासी गोयला खुर्द पोस्ट छापला नई दिल्ली ।
3- उप पंजीयक खेतडी जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28-11-2017 द्वारा उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, खेतडी ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री राजेश पूनिया एडवोकेट-अपीलान्ट
2-श्री धीरजकुमार बोयल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 7.2.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मानोता जाटान में खाता संख्या-66 जमाबन्दी सं0-2069 से 2072 में हाल खसरा नं0 144, 145, 146, 147 कुल किता-4 रकबा 5.41 हैक्टर का खाता शामलाती है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 11 खातेदार काश्त -कार है । जिसमें प्रार्थी का 0.32 हैक्टर हिस्सा है, शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है । प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी के चारो तरफ उझडा बना रखा है

तथा इस डण्डे के अन्दर 10-12 मकान पशु बांधने व खेती के औजार रखने के काम में लिये जाते है। इससे पुत्र इसमें प्रार्थी का पुत्र नेहरू मेमोरियल पब्लिक स्कूल चलाता था । उक्त आराजी का पक्षकारों ने आपस में पारिवारिक बंटवारा कर आराजी पर अपने अपने हिस्से पर काबिज है । प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी के विकास के ऋण लेना चाहता है किन्तु खाता संयुक्त होने से ऋण नहीं मिलता । सहखातेदारों से बंटवारे के लिये कहा तो उन्होने मना कर दिया तथा धमकी दी की वह आराजी का बेचान करेगे । इस पर यह दावा किया तथा प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दूओं पर कोई विवेचन न कर अपना निर्णय दिया है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को पोषणीय नहीं मानकर खारिज करने मे कानूनी भूल की है ।अदालत मातहत न प्रार्थना पत्र को खारिज करने का कोई स्पष्ट कारण दर्ज नहीं किया है अपीलान्ट ने अपने खातेदारी की आराजी मे स्कूल का निमार्ण कर रखा है जिसमे काफी कमरे बना रखे है व पेड पौधे लगा रखे हैं। तथा स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी अपीलान्ट के पुत्र के नाम से है। अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर प्रार्थना पत्र को खारिज किया है जो विधि के विपरित है ।अतः अपीलान्ट की प्रार्थना पत्र अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 में ख0नं0 144, 145, 146, 147 कुल किता-4 रकबा 5.41 हैक्टर मे दलीप, अमरसिंह पि0 नाथा हि0 0.64 हैक्टर दर हिस्सा 2/10 अन्य सह खातेदारों के साथ दर्ज है । विक्रय पत्र दिनांक 17-5-08 में अमरसिंह व दलीप पुत्रगण नाथा ने उक्त आराजी ख0नं0 144, 145, 146 एवं 147 कुल किता-4 रकबा 5.41 हैक्टर में से अपने हिस्सा 2/10 में से 0.44 हैक्टर का बैयान अजयकुमार पुत्र राजकरण, रामवीर पुत्र प्रतापसिंह को बैयान किया है । जमाबन्दी में दर्ज खातेदारान के अनुसार विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । जिसमें प्रत्येक इंच पर सभी सहखातेदारों का कब्जा काश्त माना जावेगा यह कानून की मंसा है और कानूनन एक रेकार्डेड खातेदार काश्त-कार कोअस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता ।अत विवादित आराजी के रेस्पोडेन्ट सहखातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है तथा एक सहखातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी रेस्पोडेन्ट को ही है । अदालत मातहत ने अपने निर्णय में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को उचित एवं विधिक रूप से खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अत: उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतडी का निर्णय दिनांक 28-11-2017 का निर्णय यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 7.2.2018 को सुनाया गया।

7/2/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर